

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर

राजस्व वाद संख्या : /2020

वादीगण


प्रतिवादीगण

साउ उर्फ सायरीदेवी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार लूणी वगैरा

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.09.2020	<p>वकील वादी उपस्थित मूल दावा वादीगण के विद्गो प्रार्थना पत्र खारीज होने से उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने से खारीज किया जाता है तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>  <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी</p>	